हिन्दुस्तान 02
पटना • सोमवार • 21 मई 2018

काम नहीं शुरू करने वाले बिल्डरों पर शिकंजा

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने फ्लैट खरीदारों से पैसा लेकर प्रोजेक्ट का काम नहीं शुरू करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक संस्था योजनाओं के निबंधन के लिए ही पहल कर रही थी, लेकिन शिकायत मिलने के बाद पैसा लेकर काम नहीं करने वालों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।

रेरा ने सभी बिल्डरों और प्रोमाटरों से अपनी ऐसी योजनाओं की जानकारी देने को कहा है। साथ ही आम लोगों से भी उन योजनाओं की जानकारी देने को कहा है कि जिसका पैसा तो जमा करा लिया गया है, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया है। जानकारी देने के लिए 31 मई तक का समय दिया है। उसके बाद उन पर कार्रवाई शुरू होगी। रेरा ने इस सूचना को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। रेरा के पास निबंधन के लिए अब तक 350 आवेदन मिले हैं। उनमें कई डेवलपर और बिल्डर ऐसे हैं, जिन्होंने एक योजना के निबंधन के लिए आवेदन किया है लेकिन उनकी बैंलेंस शीट में कई योजनाओं की चर्चा है। बैलेंसशीट में यह भी चर्चा है कि उन योजनाओं के लिए पैसा भी ग्राहकों से लिया गया है। कई योजनाओं के लिए ग्राहकों से तीन साल पहले ही पैसा ले लिया गया है और अब तक उन पर काम शुरू नहीं किया है। इसकी चर्चा भी उनके आवेदन में नहीं है।

रेरा

- बिल्डरों के साथ ही पैसा जमा करने वालों से भी मांगी जानकारी
- निबंधन के लिए अब तक 350 आवेदन मिले हैं

समय पर जानकारी नहीं मिली तो होगी कार्रवाई

नियम के अनुसार, उन्हें निबंधन के लिए आवेदन में उन सभी योजनाओं की चर्चा करनी है जिन पर बाजार से पैसा लिया गया है। इसके अलावा कुछ शिकायतें रेरा को खरीदारों से भी मिली हैं। लिहाजा संस्था ने बिल्डरों को एक मौका दिया है और 31 मई तक पूरी जानकारी देने को कहा है। इसके लिए प्रोफार्मा भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। समय पर जानकारी नहीं मिली तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी।